



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 225]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 9, 2018/चैत्र 19, 1940

No. 225]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 9, 2018/CHAITRA 19, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2018

आय-कर

सा.का.नि. 352(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट-2 के प्ररूप संख्या 49क और प्ररूप 49कक में, स्तंभ संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—
- "4. लिंग (केवल व्यष्टिक आवेदकों के लिए) () पुरुष () महिला () परालिंगी (कृपया, जो लागू हो () का निशान लगाएं)

[अधिसूचना सं. 18 /2018/फा.सं. 370142/40/2016-टीपीएल]

डॉ. टी.एस. मपवाल, अवर सचिव

टिप्पण:— मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उन्हें अंतिम बार अधिसूचना संख्या का.आ. 1517(अ), तारीख 6 अप्रैल, 2018 द्वारा संशोधित किया गया।